आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	2.	3.

न्यायालय उपायुक्त लोहरदगा।

परमिशन अपील नं0 10/2005–06

बन्दे उराँव व अन्य बनाम एतवा उराँव व अन्य।

आदेश

16/3/2021

अपीलकर्ता बन्दे उराँव पिता स्व0 पुरन उराँव वो एतवा उराँव पिता फागू उराँव वो सत्येन्द्र भगत पिता स्व0 सोमा भगत सभी साकिन सेमरडीह थाना किस्को जिला लोहरदगा के द्वारा उप समाहर्ता भूमि सुधार, लोहरदगा के न्यायालय वाद सं0 27/2005–06 में दिनांक 31.05.2005 को पारित आदेश के विरुद्ध अनुमति अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई।

दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों की ओर से दाखिल लिखित अभिकथन का एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष की ओर से दिये गये तार्किक तथ्य निम्नांकित हैं:–

1. मौजा सेमरडीह थाना नं0 126 प्लॉट नं0 63 रकबा 1.49 ए0 एवं प्लॉट नं0 95 रकबा 0.51 ए0 भूमि के संबंध में उप समाहर्ता भूमि सुधार, लोहरदगा के अनुमति वाद सं0 27/05 में दिनांक 31.05.2005 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अनुमति अपील दायर किया गया है।
2. यह कि प्रश्नगत भूमि आर0एस0 खतियान में गांगो उराँव पति पुरन उराँव के नाम से दर्ज है। उक्त सर्वे खतियान के अभ्युक्ति कॉलम में बकब्जे एतवा उराँव दर्ज है।
3. खतियानी रैयत गांगो उराईन नावल्द मृत हुई। अपीलकर्ता ही खतियानी रैयत के निकटवर्ती हैं। एवं उक्त भूमि पर दखलकार हुए।
4. प्रश्नगत भूमि से संबंधित विपक्षी सं0 1 की ओर से न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, लोहरदगा में परमिशन वाद सं0 27/2005 दिनांक 25.04.2005 प्रारम्भ हुआ एवं आम ईश्तेहार नोटिस जारी किया गया। दिनांक 06.05.2005 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। दिनांक 02.05.2005 को अंचल अधिकारी किस्को से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

दिनांक 28.05.2005 को जमीन विक्रेता का ब्यान लिया गया एवं दिनांक 31.05.2005 को प्रश्नगत भूमि को विपक्षी सं0 2 के नाम पर बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी गई।

5. यह की सुनवाई की तिथि 06.05.2005 रहने के बावजुद दिनांक 02.05.2005 को अभिलेख उपस्थापित किया गया है जिसमें ये जिक्र है कि अंचल अधिकारी किस्को के पत्रांक 140 दिनांक 12.05.2005 न्यायालय में दिनांक 02.05.2005 को ही प्राप्ति की तिथि अंकित बतलाया गया है।

6. दिनांक 02.05.2005 को वाद के सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित नहीं थी बल्कि सुनवाई की तिथि 06.05.2005 को निर्धारित थी। किन्तु सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किस प्रकार अंचलाधिकारी के पत्र जो दिनांक 12.05.2005 को निर्गत था निम्न न्यायालय में दिनांक 06.05.2005 को प्राप्ति बताया गया है।

7. दिनांक 06.05.2005 को सुनवाई की तिथि निर्धारित थी किन्तु अभिलेख दिनांक 28.05.2005 को उपस्थापित किया गया है।

8. अपीलकर्ता एवं विपक्षी सं0 1 का आपसी कोई रिश्ता नहीं है। अपीलकर्ता खतियानी रैयत से कोई रिश्ता नहीं रखता है। नाम की समानता का लाभ उठाते हुए एवं अंचल अधिकारी से मिली भगत होने की वजह से विपक्षी सं0 1 को भूमि बिक्री की अनुमति प्राप्त हुई।

9. अपीलकर्ता ही खतियानी रैयत के निकटवर्ती संबंध रखते हैं। किन्तु इन्हें अनुमति के समय कोई सूचना नहीं दी गई। यह अनुमति प्रदान किया जाना निराधार एवं बेबुनियाद है।

10. अपीलकर्ता ही खतियानी रैयत के निकटवर्ती हैं एवं उक्त सम्पति के हकदार एवं दखलकार हुए।

11. निम्न न्यायालय की सारी कार्यवाही कागजी मात्र है। इसे वैद्य नहीं माना जा सकता है।

12. अंचल अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार का उक्त भूमि से संबंधित स्थानीय जाँच नहीं किया गया।

13. यह कि हाल सर्वे खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि आर0एस0 खाता नं0 18 का नया खाता 76 बना है। हाल सर्वे खाता नं0 76 अनाबाद बिहार सरकार दर्ज है, तो किस प्रकार से सोमा मुण्डा को उक्त भूमि की अनुमति निम्न न्यायालय के द्वारा दिया गया, जो अवैध है।

विपक्षी की ओर से दिये गये तार्किक तथ्य निम्नांकित है:–

1. अपीलकर्ता के द्वारा दायर किया गया अनुमति अपील इस न्यायालय में अंगीकृत होने योग्य नहीं है साथ ही कानूनन अनुचित प्रतीत होता है।

2. विपक्षी सं0 1 एतवा भगत के द्वारा विपक्षी सं0 2 सोमा मुण्डा को निबंधित केवाला सं0 1224 दिनांक 03.06.2005 के जरिये बिक्री किया जा चुका है। और इस प्रकार अब सोमा मुण्डा प्रश्नगत भूमि के मालिक हो गये

एवं सोमा मुण्डा ही उक्त भूमि के हकदार व दावेदार एवं स्वामी बन गये।

3. निबंधित केवाला सं0 1224 दिनांक 03.06.2005 को अब तक अपीलकर्ता द्वारा Challenge नहीं किया गया है।

4. यह कि इस न्यायालय में टाईटल का निर्णय नहीं हो सकता। निबंधित केवाला को भी अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में गलत साबित नहीं किया जा सकता है।

5. वर्त्तमान अपील वाद अपीलकर्ता द्वारा बुरी नीयत की वजह से तंग करने के लिये दायर किया गया है।

6. यह भूमि मौजा सेमरडीह थाना नं0 126 खाता नं0 18 प्लॉट नं0 53 रकबा 1.49 ए0 तथा प्लॉट नं0 95 रकबा 0.54 ए0 भूमि एवं अनेकों प्लॉट जमा कुल रकबा 17.37 एकड़ जमीन आर0एस0 खतियान में मासोमात गोंगो उराईन पति पूरन उराँव के नाम पर कायमी दर्ज है।

7. अन्य कुछ प्लॉट में अलग से एतवा उराँव एवं अन्य लोगों को दखलकार बकब्जे दर्ज हैं।

8. निम्नांकित वंशावली से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0 1 खतियानी रैयत से कैसा संबंध रखते हैं।

वंशावलीः–

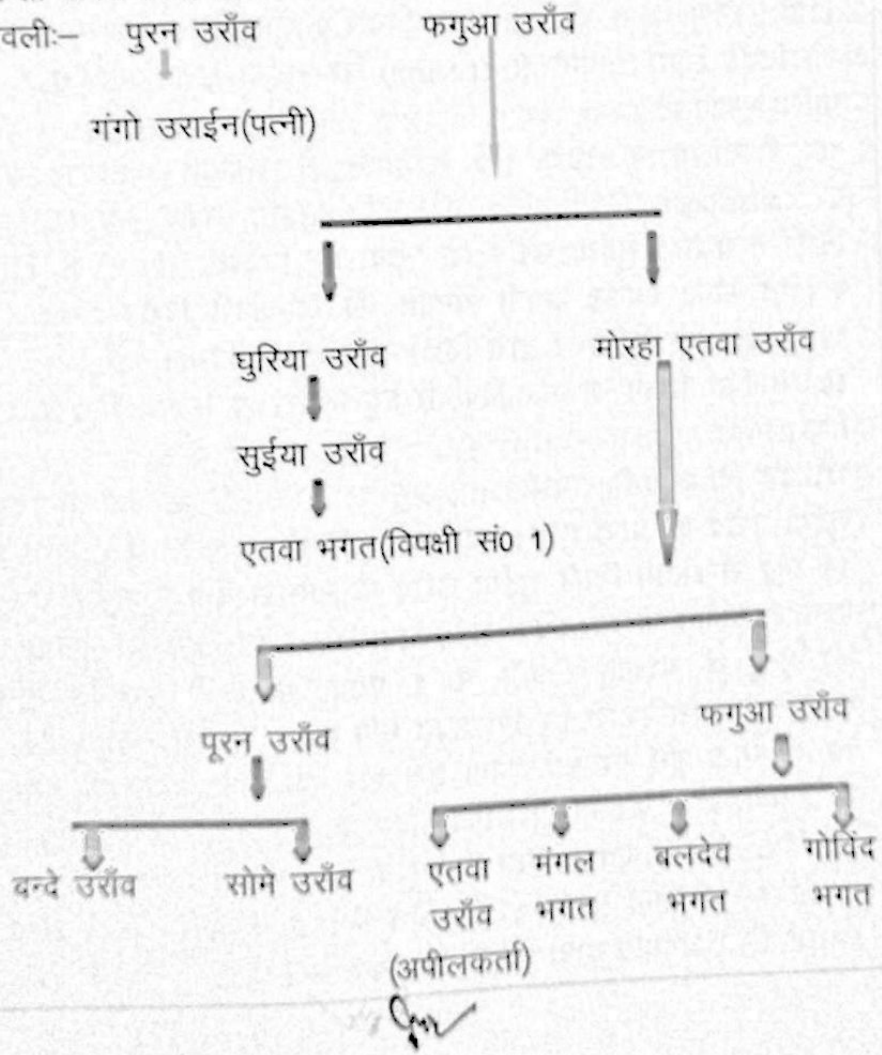

9. पूरन उराँव एवं फागू उराँव दोनों भाई इनमें से फागू उराँव की मृत्यु कन्डस्ट्रल सर्वे के पूर्व ही हो गई। जिसकी वजह से सी0एस0 में पूरन उराँव दर्ज हुआ। एवं रिविजनल सर्वे खतियान खाता नं0 18 मसोमात गांगो उराईन के नाम से इन्द्राज हुआ।

10. यह कि फगुआ उराँव के दो पुत्र हुए घुरिया उराँव एवं मोरहा एतवा उराँव। घुरिया उराँव की भी मृत्यु हो गई इनसे एक पुत्र हुए जिसका नाम सुईया उराँव है। इनकी भी मृत्यु हो गई इनका भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम एतवा भगत (विपक्षी सं0 1) है।

11. यह कि एतवा भगत के दादा घुरिया उराँव की मृत्यु उस समय हुई जब सुईया उराँव नाबालिग था। तत्पश्चात् घुरिया उराँव की पत्नी ने एतवा उराँव के साथ सगाई कर ली जैसा की उराँव कस्टमरी लॉ में भी जायज बताया गया है।

12. सुईया उराँव का बचपन एतवा उराँव के छत्रछाया में बीता।

13. यहीं पर वास्तविक रुप से अपीलकर्ता एवं विपक्षी सं0 1 के पूर्वजों को समझने की आवश्यकता है।

14. सुईया उराँव जो विपक्षी सं0 1 के पिता हैं, जो Partition Suit No 118/1947 सबजज, राँची में मौजा बिटलौंग सेमरडीह एवं अरेया की जमीन की डिक्री आधा सम्पति (Half Share) पर सुईया उराँव के पक्ष में निर्णय पारित हुआ।

15. न्यायालय के द्वारा सर्व खतियान से संबंधित जानकार Pleader Commissioner की नियुक्ति की गई। सुईया उराँव का Half Share निर्धारित करेंगे। सुईया उराँव जो एतवा भगत(विपक्षी सं0 1) के पिता हैं। संबंधित मौजा जाकर अपनी सम्पति की जानकारी दिये। अंततः दिनांक 19.03.1950 को कमिश्नर द्वारा डिक्री समर्पित कर दिया।

16. समर्पित डिक्री के मोताबिक सिड्युल बनाकर हिस्सा निर्धारित किया गया।

17. यह कि आपसी समझौता के अनुसार प्लॉट नं0 95 अदला–बदली में सुईया उराँव को प्राप्त हुआ। बदले अपने हिस्से का प्लॉट उन्हें दिया गया।

18. जब से अंतीम डिक्री सुईया उराँव के नाम से बनी है सुईया उराँव ही प्रश्नगत जमीन के वास्तविक मालिकाना हक प्राप्त किये हैं। सुईयां उराँव की मृत्यु के पश्चात् विपक्षी नं. 1 एतवा भगत ही प्रश्नगत भूमि के वास्तविक उत्तराधिकारी हुए एवं उक्त भूमि पर दखलकार रहते आये।

19. प्रश्नगत भूमि पर मालिकाना हक होने की वजह से सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर भूमि की बिक्री किये हैं, जो जायज है।

20. विपक्षी सं0 1 एतवा भगत जमीन के हकदार एवं दखलकार रहते हुए विपक्षी सं0 2 सोमा मुण्डा को निबंधित केवाला के जरिये बिक्री किये हैं। जिसके लिये अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था।

21. परमिशन से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् अनुमति दिया गया।

22. यह कि जाँच में भी विपक्षी सं0 1 का मालिकाना हक व दावा पाकर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

23. आम ईश्तेहार जारी किया गया किन्तु कहीं से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।

24. अब प्रश्नगत जमीन के क्रेता सोमा मुण्डा ही वास्तविक हकदार व दावेदार हुए एवं उन्हें उक्त जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हुआ।

25. अपीलकर्तागण कभी भी प्रश्नगत भूमि के हकदार एवं दावेदार नहीं हुए।

26. निम्न न्यायालय के द्वारा छोटानागपूर टेनेन्सी एक्ट की धारा 46 में निहित सभी प्रावधानों को पूरा करते हुए बिक्री की अनुमति दी गई।

27. अपीलकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाय एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2005 को यथावत् रखा जाय।

निष्कर्षः–

मौजा सेमरडीह थाना सं0 126 खाता सं0 प्लॉट नं0 53 रकबा 1.49 एकड़ वो प्लॉट नं0 95 रकबा 0.51 एकड़ भूमि जमा कुल रकबा 2.00 एकड़ जमीन के संबंध में छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के शर्तों को पूरा करते हुए विपक्षी सं0 1 एतवा भगत पिता सुईया भगत साकिन सेमरडीह थाना किस्को जिला लोहरदगा के द्वारा विपक्षी सं0 2 सोमा मुण्डा पिता सनिका मुण्डा साकिन सेमरडीह थाना किस्को जिला लोहरदगा से जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि की बिक्री की गई है।

आदेशः–

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर अपीलकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय में पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।

लेखापित

16/3/2021

उपायुक्त,
लोहरदगा।

Digitally signed by DILIP KUMAR TOPPO
Date: 2021.10.23 14:30:23 +05:30
Location: 10.93.49.17

16/3/2021

उपायुक्त,
लोहरदगा।